प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : <u>www.rbi.org.in/hindi</u> Website : <u>www.rbi.org.in</u> ई-मेल/email : <u>helpdoc@rbi.org.in</u>





संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,

Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

26 जुलाई 2024

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश — दि अंजनगांव सुर्जी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र — अविध बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को दिनांक 28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छः माह की अविध के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार दिनांक 24 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.D-10/12.22.603/2024-25 के माध्यम से 28 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।।

- 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि उपरोक्त निदेश की परिचालन अवधि को जनहित में दिनांक 28 जुलाई 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
- 3. तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उपरोक्त निदेश की वैधता अविध को 28 जुलाई 2024 को कारोबार की समाप्ति से 28 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन महीने की अविध के लिए बढ़ाता है जो कि समीक्षाधीन होगा।
- 4. संदर्भाधीन निदेश की अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/782

(पुनीत पंचोली) मुख्य महाप्रबंधक